उनकी बिक्री करयोग्य है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर वैट अदा नहीं किया जाकर कर का परिवर्जन/अपवंचन किया जाना पाया गया। नियमानुसार उक्त अभियोग के साथ पत्रावली जांच अधिकारी से कर निर्धारण अधिकारी के यहां स्थानान्तरित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि व्यवहारी कम्पनी यूज्ड मोटर वाहन की बिक्री पर वर्ष 2006–07 से 2011–12 की अवधियों में मोटर व्हीकल दर से करदेयता है। जिसके लिए कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओं नोटिस जारी कर निम्न तालिका के अनुसार मांग सृजित की गई। जिनसे व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपने विस्तृत आदेश दि. 01.01. 2014 जारी किये, जिनके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिनका विवरण सारणी में दर्शाया गया है :–

अ. सं.	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	कर निर्धा. आदेश दि0	वित्तीय वर्ष	कर राशि	ब्याज राशि	शास्ति राशि
39/14	32/अपी III/वेट/13–14	12.03.13	06–07	13,84,955	10,66,415	27,70,910
40/14	33/अपी III/वेट/13–14	12.03.13	07–08	6,42,445	4,17,589	12,84,890
41/14	34/अपी III/वेट/13–14	12.03.13	08–09	6,31,158	3,34,514	12,62,316
42/14	35/अपी III/वेट/13–14	12.03.13	09–10	6,40,000	2,62,400	12,80,000
43/14	36/अपी III/वेट/13–14	12.03.13	10–11	25,20,000	7,30,800	50,40,000

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि उनकी कम्पनी (अपीलार्थी व्यवहारी) वाहन क्रय करने हेतु ऋण प्रदान करती है। उपभोक्ता द्वारा वाहन अपने नाम से क्रय किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक ऋण संविदा के तहत उपभोक्ता को वित्तीय सहायता दी जाती है। ऋण की प्रतिभूति के रूप में व्यवहारी वाहन मालिक से वाहन को **'हाइपोथिकेट'** (Hypothicate) करता है। ऋण प्राप्तकर्ता ऋण की किश्तों के भुगतान में दोषी हो जाता है तो अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपने शेष ऋण की वसूली हेतु वाहन को अपने कब्जे में लेकर नीलामी/बोली के द्वारा बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी कभी भी वाहन का स्वामी नहीं बनता और हाइपोथिकेट एग्रीमेन्ट के अनुसार व्यवहारी बैंक वाहन स्वामी की ओर से वाहन को बेचता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 2(35) के तहत उक्त वाहनों की बिक्री विक्रय की परिभाषा में नहीं आती, क्योंकि वस्तु का स्थानान्तरण किसी भी प्रकार के नगद या आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये नहीं होता है। वाहन का विक्रय अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता की ओर से इस प्रकार किया जाता है कि उसे वाहनों का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो तथा यह सभी संव्यवहार अपीलार्थी व्यवहारी की नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज है, जिस पर धारा 25/26 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही गैर कानूनी व विधिविरूद्ध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी का उद्धेश्य इस कार्य हेतु लाभ कमाना नहीं है बल्कि ऋणी द्वारा वाहन पैटे जो ऋण लिया जाता है उसकी अदायगी समय पर नहीं करने पर ऋण की वसूली हेतु अपीलार्थी

लगातार.....3

व्यवहारी द्वारा विधिनुसार वाहन को जब्त कर उसको विक्रय कर ऋण की भरपायी की जाती है तथा विक्रय में यदि अधिक राशि प्राप्त होती है तो वह राशि ऋणी को अदा कर दी जाती है। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी का विक्रय के पीछे उद्धेश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि अपने ऋण की भरपायी करना है जो विक्रय की परिभाषा में नहीं आता है। व्यवहारी के अधिवक्ता ने विकल्प में यह भी तर्क दिया कि यदि उक्त पुराने वाहनों के विक्रय पर अपीलार्थी व्यवहारी पर जो कर लगाया है उसकी कर बोर्ड द्वारा यदि पुष्टि की जाती है तो ऐसी स्थिति में जो शास्ति लगायी गई है उसे माफ किया जावे क्योंकि उक्त वाहनों की बिक्री कर योग्य है या नहीं, इसकी जानकारी अपीलार्थी व्यवहारी को नहीं थी तथा अपीलार्थी व्यवहारी का आशय कर चोरी करने का नहीं था। ऐसी स्थिति में शास्ति को माफ किया जावे तथा आई.टी.सी. भी व्यवहारी को दिलवायी जावे। अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्लेज्डगुड्स की बिक्री नहीं की गई है ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त फेडरल बैंक लि0 बनाम केरला राज्य का कोई विपरीत निष्कर्ष अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मै0 सुन्दरम फाईनेंस लि0 बनाम केरला राज्य के निर्णय में मोटर व्हीकल के ऋण में उसकी वसूली को विक्रय नहीं माना है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की जावे तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जावे। अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेः–

1- State of Panjab v/s Bajaj Electricals (1970) 25 STC Page 82(SC)
2- G. Venkataswami Naidu v/s CIT (1959) 35 ITR 594 (SC)
3- M/s T.V.S. Finance Ltd. Tirupati v/s State of Andhra Pradesh TA No.948/08
4-N.S.S. Enterprises v/s The State of Punjab and Anr.(2010) 30 VST 244 Panjab& Hyryana
5-Xcell Automation v/s Government of Punjab& Anr (2007) 5 VST 308 (P&H)
6- Hindustan Steel Ltd. v/s State of Orissa (1970) AIR 253 (SC)
7- ABY Engineers and Consultains(p)Ltd.,v/sSales Tax Officer Orderdt.5.3.2010 (HEKERALA)
8-Associated Cement Compny Ltd. v/s CTO, Kota(1981) 48 STC 466(SC)
9-North Malabar District Co-operative Supply and Markting Society Ltd. v/s Asstt. Commissioner& Ors. (1998) 111 STC 271 (Kerla)

6. इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की तथा विभाग के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आई.टी.सी. प्राप्त करने के बाबत जो नियम बने हुए है उसकी परिधि में अपीलार्थी व्यवहारी नहीं आता है। अतः आई.टी.सी.स्वीकार नहीं की जा सकती तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर की चोरी की गई है, इस कारण शास्ति आरोपित की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आर्थिक अपराध के मामलों में आपराधिक आशय नहीं देखा जाता है। कर अदा करने का दीवानी दायित्व अपीलार्थी व्यवहारी का था लेकिन अपीलार्थी व्यवहारी ने कर की चोरी करने के आशय से कर योग्य बिक्री पर कर अदा नहीं कर, कर की चोरी की है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुन्दरम फाईनेंस लि0 में जो निर्णय दिया है उसके तथ्य अलग है इस कारण उसका फायदा अपीलार्थी व्यवहारी को नहीं मिलता है, बल्कि मै0 फेडरल बैंक लि0 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया लागू होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें खारिज की जावें।

लगातार.....4

7. हमने दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया व अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस, लिखित बहस का एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया।

8. उक्त प्रकरणों की स्थिति, परिस्थिति व तथ्य माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा अपील संख्या 627 से 629/2015/जयपुर मैसर्स बजाज फाईनेंस लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 09.02.2017 में दिये गये निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित है। अतः उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें कर व ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती हैं एवं शास्ति के बिन्दु पर अपीलें स्वीकार की जाती है।

9. फलतः माननीय कर बोर्ड द्वारा ऐसे प्रकरणों में दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीलों में कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती है तथा शास्तियों के बिन्दु पर स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

22.3.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष